भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 424

22.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रोत्साहक उपाय

424. श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री पी.सी. मोहन:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री भोजराज नाग:
श्री बलभद्र माझी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती कमजलीत सहरावत:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(ख) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही हैं;
(ग) क्या सरकार योजना की अवधि के दौरान उक्त प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता की निगरानी करने का विचार रखती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सीधी लोक सभा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) भारत सरकार द्वारा 29.09.2024 को दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोलुशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम अधिसूचित की गई है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम

के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अब तक उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(I) उपभोक्ता: इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय अग्रिम सब्सिडी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस स्कीम के तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक खरीदने वालों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुल 3,679 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं:

क्र.सं.	खंड	कुल सब्सिडी राशि (करोड़ रुपये में)	ईवी की संख्या
1.	ई-दुपहिया	1,772	24.79 लाख
2.	ई-तिपहिया	907	3.15 लाख
3.	ई-एम्बुलेंस	500	-
4.	ई-ट्रक	500	5,643

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

1. 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन।
2. ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
3. परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये का आवंटन।

अधिक जानकारी यहां https://pmedrive.heavyindustries.gov.in पर उपलब्ध है।

(II) विनिर्माता: पीएम ई-ड्राइव स्कीम के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अनुपालन आवश्यक है, जो विनिर्माण के स्वदेशीकरण को अनिवार्य बनाता है। इससे देश में ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने में सहयोग प्राप्त होता है।

(ख) ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों (पीएलआई ऑटो) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम चैंपियन ओईएम श्रेणी के तहत आवेदकों को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) वाहनों की निर्धारित (वृद्धिशील) बिक्री पर 13% से 18% का प्रोत्साहन प्रदान करती है, और घटक चैंपियन श्रेणी के तहत आवेदकों को एएटी घटकों की निर्धारित बिक्री पर 8% से 13% का प्रोत्साहन प्रदान करती है (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के एएटी घटकों के लिए 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है)। इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) अनिवार्य है, जो भारत में ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

पीएलआई एडवांस केमिस्ट्री सेल स्कीम उन सेलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जिनका उपयोग, अन्य के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में किया जाता है।

भारत में इन सेलों का घरेलू उत्पादन इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।

(ग) एवं (घ) जी हाँ, सरकार के पास स्कीम अधिसूचना और दिशानिर्देशों के अनुसार इन स्कीमों की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तंत्र मौजूद हैं।

(ङ) प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम सीधी लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे देश में लागू की जा रही है। सीधी लोकसभा क्षेत्र में इस स्कीम के तहत बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण इस प्रकार है:

संख्या

निर्वाचन क्षेत्र	**ई-दुपहिया**	**ई-तिपहिया**	**कुल**
सीधी (शहडोल, सिंगरौली एवं उमरिया सहित)	299	16	315

*****